न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–1, अलीगढ़।

दाण्डिक वाद संख्या–991/20

राज्य बनाम हैदर अली आदि ।

मु0अ0सं0–72/2020

धारा–188,269, भा0द0सं0 व 3 महामारी अधि0

थाना अकराबाद अलीगढ़।

13.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण मु0अ0सं0–72/2020 अन्तर्गत धारा– 188,269 भा0द0सं0 व 3 महामारी अधि0 से सम्बन्धित है, जिसमें अभियुक्तगण हैदर अली, शाकिर, हसन, इकरार, इकबाल व इमरान के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–321 द0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1042/डब्लू0सी/सात–न्याय–पांच–2021–494 डब्लू0सी0/2021, दिनांकित–26 अक्टूबर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसके द्वारा कोविड–19 प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन उल्लंघन में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897, व धारा– 188,269,171 भा.द.स. एवं इस मामले से सम्बद्ध भा0दं0सं0 की अन्य अपराध की धाराएं जिनमें अधिकतम 02 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है, से सम्बन्धित हैं पूरे प्रदेश में जन सामान्य (वर्तमान अथवा भूतपूर्व मा0 सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य को छोड़कर) के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों को वापस लिये जाने हेतु लोक अभियोजक को मा0 न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की लिखित अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। चूंकि प्रकरण में राज्यपाल महोदय द्वारा मुकदमा वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध अभी आरोप विरचित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त उपरोक्त धाराओं के आरोप से उन्मोचित किये जाने योग्य है तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–321 द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण हैदर अली, शाकिर, हसन, इकरार, इकबाल व इमरान मु0अ0सं0–72/2020 अन्तर्गत धारा– 188,269 भा0द0सं0 व 3 महामारी अधि0 के आरोपों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट संख्या–01 अलीगढ़।